भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2017/एनएफआर/1/1 नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.4)

विषय: <u>आउट ऑफ होम विज्ञापन संबंधी नीति।</u>

<u>भूमिका:</u>

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्ष की अवधि में, हम परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

भारतीय रेल के पास विशाल भौतिक आधारभूत संरचना है, जो विज्ञापन के जरिए वाणिज्यिक दोहन के लिए तैयार है। हम अपने स्टेशनों, गाड़ियों और बड़े स्टेशनों के बाहर रेलपथ के आस-पास की भूमि की विज्ञापन क्षमता के दोहन उठाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने पर विचार कर रहे हैं। हम विज्ञापन राजस्व अर्जित करने के लिए, जहां तक संभव हो सकेगा अपने ग्राहक-इंटरफेसिंग परिसंपत्तियों का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर, हमने विज्ञापन राजस्व को वर्तमान राजस्व से 4 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।"

<u>उद्देश्य:</u>

इस नीति का उद्देश्य है, स्टेशन क्षेत्र से इतर क्षेत्रों जैसे ए1-एफ श्रेणी के स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों, उपरि सड़क पुलों, निचले सड़क पुलों, समपार फाटकों, रेलवे कॉलोनी, रेल कारखानों, रेल उत्पादन इकाइयों, रेलपथ के साथ-साथ रेल भूमि आदि की परिसंपत्तियों से विज्ञापन मुद्रीकरण में विभिन्न शर्तें निर्धारित करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

- **विज्ञापन अधिकार दृष्टिकोण:**
    - भारतीय रेल निम्नलिखित परिसंपत्तियों से विज्ञापन की पेशकश करेगी
        - चिह्नित साइट, वे लोकेशन हैं, जहां वर्तमान ठेके परिचालित हैं
        - चिह्नित साइट किन्तु जहां वर्तमान में कोई ठेका परिचालित नहीं है
        - वे लोकेशन, जो रेलवे द्वारा न तो कभी आवंटित किए गए हैं और न ही चिह्नित किए गए हैं
    - लाइसेंसधारकों के पास अधिकार आधारित दृष्टिकोण होगा। चिह्नित साइट, जहां रेलवे द्वारा यथा संभव लोकेशन दिया जाएगा, से इतर कोई भी साइट अथवा उपलब्ध स्थान वर्ग फुट में प्रतिबद्ध न किया जाए।
    - अधिकार आधारित दृष्टिकोण के आधार पर दिए गए लाइसेंस में भारतीय रेल द्वारा पैकेज में निर्दिष्ट क्षेत्रों और जो नकारात्मक सूची का भाग नहीं है, के विज्ञापन स्थानों पर सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों के अधिकार शामिल होंगे।

- **विज्ञापन परिसंपत्तियों की नकारात्मक सूची:**
    - नकारात्मक सूची में स्टेशन भवन क्षेत्र, स्टेशन भवन परिसर में स्थित रेलपथ भूमि/क्षेत्र, ऊपरी पैदल पुल (प्लेटफार्मों पर जाने के लिए), पूर्णतः प्रशासनिक कार्यालय, धरोहर इमारतें और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

- **पैकेज साइज़:**
    - प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को बोली लगाने के लिए अलग-अलग विज्ञापन परिसंपत्ति पैकेज साइज़ की पेशकश की जाएगी, जिसमें मुंबई क्षेत्र शामिल नहीं है, जो मध्य और पश्चिम दोनों रेलों के लिए संयुक्त रूप से होगा। बहरहाल, रेलवे बोर्ड परिसंपत्तियों से राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को एक ही पैकेज में मिला सकता है। पैकेजों में विभिन्न क्षेत्रीय रेलें शामिल होने पर भी, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए अलग-अलग बोली की पेशकश की जाएगी और पैकेज के लिए प्राप्त उच्चतम बोली को लाइसेंस दिया जाएगा। संयुक्त पैकेज के मामले में भी प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा करार पर अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाएंगे।

- **निविदा देने की प्रक्रिया:**
    - राइट्स लिमिटेड, पीएमएमईए के सहयोग से, उपलब्ध साइटों, जो परिचालन में हैं अथवा चिह्नित की गई हैं किन्तु ठेके में नहीं है, के विवरण की पुष्टि करने के बाद

क्षेत्रीय रेलों की ओर से खुली बोली आमंत्रित करेगा। क्षेत्रीय रेलवे, राइट्स को सभी परिसंपत्तियों से प्राप्त अनुमानित आय की पुष्टि करेगा। राइट्स निविदा पैकेजों से अर्जित अनुमानित आय तय नहीं करेगा, जो क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित अनुमानित आय से कम होगी।

- बोली प्रक्रिया केवल आरोही ई-नीलामी पद्धति द्वारा ही की जाएगी।

- **ठेके की अवधि:**
  - भारतीय रेल विज्ञापन ठेका 10 वर्ष की अवधि के लिए देगा।

- **असम्मति का अधिकार:**
  - लाइसेंसधारी को ठेका पूरा होने के पश्चात पहली असम्मति के अधिकार की पेशकश की जाएगी।

- **संवर्धन खंड:**
  - लाइसेंस शुल्क 2 वर्ष के बाद प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ेगा।

- **मौजूदा ठेकों का नवीकरण:**
  - भारतीय रेल विज्ञापन संबंधी परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी के मौजूदा ठेकों का नवीकरण करेगा। मौजूदा ठेके अथवा उनके राजस्व ठेकों के समाप्त होने तक लाइसेंसधारी को दिए जाएंगे।
  - मौजूदा वाणिज्यिक प्रचार ठेकों की विज्ञापन संबंधी परिसंपत्तियाँ, ऐसे ठेकों के समापन/निष्कासन होने तक लाइसेंस का भाग नहीं होंगी।

- **उत्पादों का प्रदर्शन:**
  - लाइसेंसधारी को परिचलन क्षेत्रों में निर्धारित किए गए क्षेत्रों में यात्रियों के आवागमन में बाधा पहुंचाए बिना, उत्पादों के प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी, जो क्रय-विक्रय/बिक्री के लिए नहीं होंगे।

- **प्रतिभूति जमा और भुगतान:**
  - भारतीय रेल को अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के माध्यम से लाइसेंस की अवधि के प्रत्येक वर्ष के 6 (छह) माह की लाइसेंस शुल्क के समतुल्य सुरक्षा जमा राशि प्राप्त होगी।
  - भारतीय रेल को लाइसेंस करार में दी गई पद्धति के अनुसार बराबर मासिक किश्तों में अग्रिम में लाइसेंस शुल्क प्राप्त होगा।

- **मीडिया एग्नोस्टिक:**
  - भारतीय रेल, प्राधिकरण की किसी भी नीति अथवा आउटडोर विज्ञापन नीति (ओएपी) के तहत प्रतिबंधों के अध्यधीन तदनुरूपी विज्ञापन परिसंपत्ति/स्थान के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और व्यवहार्य विज्ञापन के सभी प्रकार के प्रयोग की अनुमति देगा।
  - भारतीय रेल, लाइसेंसधारी को संगत कानून, भारतीय रेल के परिचालन में हस्तक्षेप के बिना, यात्रियों की सुरक्षा एवं गाड़ी परिचालन, धरोहर/स्टेशन भवन के अग्रभाग को प्रभावित किए बिना विज्ञापन संचालन करने की अनुमति देगा।

- **विज्ञापन संबंधी योजना:**
  - भारतीय रेल, विज्ञापन संबंधी योजना का मूल्यांकन साज-सज्जा, व्यवहार्यता, संरक्षा और सुरक्षा, उपयोग की गई सामग्रियों के मानकों और विशिष्टियों और उनके तकनीकी अथवा परिचालनिक दृष्टिकोण के आधार पर करेगा। रेलवे को विज्ञापन संबंधी योजनाओं के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसी शर्त पर अपनी टिप्पणी देनी होगी।

- **नगरपालिका प्राधिकरणों के साथ राजस्व साझा करना:**
  - भारतीय रेल के लाइसेंसधारी बकाया सेस, मूल्यांकन, सांविधिक कर, स्थानीय लेवी, सांविधिक बकाया जैसे संपदा कर, जो बकाया हैं और भारतीय रेल द्वारा देय हैं, नगरपालिका प्राधिकरण/परिषद आदि के साथ राजस्व हिस्सेदारी के प्रति बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- **<u>बोली प्रक्रिया प्रबंधन</u>**

  - भारतीय रेल ने राइट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिसने अर्नेस्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केट इवैल्यूएशन एजेंसी (पीएमएमईए) के रूप में नियुक्त किया है।
  - राइट्स और पीएमएमईए पूर्ण बोली प्रक्रिया प्रबंधन के उत्तरदायी होंगे।
  - राइट्स और पीएमएमईए निविदा दस्तावेज़ तैयार करेंगे।
  - पीएमएमईए, राइट्स की सिफ़ारिशों पर निविदा आमंत्रण नोटिस तैयार करेगा, जो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित किए जाएंगे।
  - राइट्स और पीएमएमईए संबंधित क्षेत्रीय रेलों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, उपयुक्त ई-निविदा मंच से एनआईटी/निविदा दस्तावेज़, निविदा का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र अपलोड करेंगे।

- पीएमएमईए द्वारा यथा संभावित अनुमानित आय को संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- पीएमएमईए निविदाएँ प्राप्त करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा।
- राइट्स निविदा स्वीकार करेगा और स्वीकृति पत्र जारी करेगा।
- क्षेत्रीय रेलवे करार पर हस्ताक्षर करेगी और उसका कार्यान्वयन करेगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

दस्तख़त

(रंजन पी. ठाकुर)
कार्यपालक निदेशक (यातायात वाणिज्य)
गैर किराया राजस्व
रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एनएफआर/1/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दस्तख़त

कृते वित्त आयुक्त,
रेलवे बोर्ड